(III) A Centrally sponsored scheme 'Development of Infrastructure for protection of forest against Biotic Interference' is under implementation in the States/ U.T. Governments.

(IV) Guidelines have been issued to all States/UT Governments from time to time for protection of forests. Mention is made of some important ones :

(i) To avoid clear felling of natural forests and where such fellings are inevitable for restoration of crops and other silvicultural consideration, it should be restricted to areas not exceeding 10 hectares in the hills and 25 hectares in the plains.

(ii) To consider ban on green felling in hills and mountains above 1000 metres, at least for some years.

(V) To improve density of degraded forests following steps have been taken :

(i) A massive afforestation programme including social forestry and agro-forestry under the 20 point programme is under implementation in all parts of the country.

(ii) Guidelines have also been issued to all State/UT Governments for People's participation and active involvement in managment and development of degraded forests.

कुंओं के चारों ओर वृक्षारोपण

2061. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पर्यावरण और वन विकास को ध्यान में रखते हुए सामाजिक वानिकी और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए कृषि फार्मों पर सिंचाई हेतु निर्मित कुंओं के चारों ओर कम से कम दस वृक्षों का रोपण अनिवार्य बनाए जाने का विचार है ;

(ख) सड़कों और नहरों के साथ-साथ दोनों ओर वृक्षारोपण हेतु किसी स्पष्ट योजना के कार्यान्वयन के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या पर्यावरण के प्रति ग्रामीणों में जागरूकता पैदा करने का कोई प्रयास किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) देश भर में कार्यान्वित किए जा रहे सामाजिक वानिकी कार्यक्रम संबंधी कार्यकलापों के माध्यम से निजी भूमि पर, घरों के आस-पास, खेतों की मेड़ों तथा अन्य खाली स्थानों में वृक्ष लगाने को बढ़ावा दिया जा रहा है। तथापि सिंचाई के कुओं के चारों ओर विशिष्ट संख्या में वृक्ष लगाने जैसी कोई आवश्यक शर्त नहीं रखी गई है क्योंकि यह आवश्यक रूप से एक स्वैच्छिक प्रयास है। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़क, रेल लाइन तथा नहरों के किनारों पर भी वृक्षारोपण किया जाता है।

(ग) और (घ) वन चेतना केन्द्रों, किसान प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर, जन पौधशालाओं को लोकप्रिय बनाकर, बंजर भूमि विकास में लगी स्वैच्छिक एजेंसियों तथा इलैक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया के जरिए ग्रामीणों में जागरूकता पैदा की जा रही है।

प्रदूषण-नियंत्रण

2062. **डा. बापू कालदाते** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :